Govt. Autonomous P.G. College Chhindwara (M.P.)

Lead College Chhindwara Dist. (M.P.)INDIA

शिक्षण पाठ्यक्रम समूह/विकल्प/प्रवेश संख्या सीमा

महाविद्यालय में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध स्थान

1. **स्नातक प्रथम सेमेस्टर पद्धति : (प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन)**

अ. बी. ए. प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं को अनिवार्य विषय के आधार पर पाठ्यक्रम के अतिरिक्त निम्न पांच समूहों मं से किन्ही तीन समूहों के एक–एक विषय का चयन करना होगा। निम्न विषयों में कम्प्यूटर एप्लीकेशन स्ववित्तीय आधार पर है। कम्प्यूटर एपलीकेशन के लिये सामान्य शुल्क के अतिरिक्त रू. 3000/– प्रतिवर्ष जमा करना होगा। प्रत्येक संकाय में प्रत्येक सेक्सन में 30 छात्र/छात्राओं को गुणानुक्रम के अनुसार प्रवेश दिया जावेगा। बी.एस.सी. में माइक्रोबायोलॉजी एवं बायोटेक्नोलॉजी विषय स्ववित्तीय आधार पर संचालित है। इनमें सामान्य शुल्क के अतिरिक्त रू. 6000/– प्रतिवर्ष जमा करना होगा।

प्रत्येक विषय युग्म में प्रवेश संख्या सीमा 160 होगी –

1. समाजशास्त्र/हिन्दी साहित्य
2. अर्थशास्त्र/प्रयोजन मूलक हिन्दी
3. राजनीतिशास्त्र/अंग्रेजी साहित्य
4. इतिहास/कम्प्यूटर एप्लीकेशन (स्ववित्तीय)
5. संस्कृत/भूगोल

(विज्ञान संकाय) प्रथम सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं को निम्नानुसार

	विषयों का चयन करना होगा		**प्रवेश संख्या सीमा**
1.	गणित, भौतिक,कम्प्यूटर एप्लीकेशन	–	100
2.	प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र,कम्प्यूटर एप्लीकेशन	–	100
3.	रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र	–	100
4.	गणित, भौतिक, रसायनशास्त्र	–	100
5.	गणित, भौतिक, भूगर्भशास्त्र	–	30
6.	रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, बायोटेक्नालॉजी	–	10
7.	रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, माइक्रोबायोलॉजी	–	10

(वाणिज्य संकाय) प्रथम सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं को निम्नानुसार

विषयों का चयन करना होगा **प्रवेश संख्या सीमा – 300**

1. ग्रुप द्वितीय बिजनेस मेनेजमेंट, ग्रुप तृतीय एकाउंटिंग, कम्प्यूटर एप्लीकेशन (स्ववित्तीय)
2. ग्रुप द्वितीय बिजनेस मेनेजमेंट, ग्रुप तृतीय एकाउंटिंग, ग्रुप चतुर्थ एप्लाईड एकॉनॉमिक्स।

स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम –

बी. सी. ए. एव ंबी. बी. ए. स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम स्ववित्तीय व्यवस्था संचालित हैं जिनमें प्रति सेमेस्टर शुल्क 3000/– निर्धारित है :–

कक्षा		प्रवेश संख्या सीमा
बी. सी. ए.	–	30
बी. बी. ए.	–	30

–:: अनिवार्य विषय ::–

विज्ञान, कला एवं वाणिज्य प्रथम सेमेस्टर

1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा 3. उद्यमिता विकास

विज्ञान, कला एवं वाणिज्य तृतीय सेमेस्टर

1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा 3. पर्यावरण

विज्ञान, कला एवं वाणिज्य पंचम सेमेस्टर

1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा 3. कम्प्यूटर

एम. एस. सी. सेमेस्टर

	विषय		निर्धारित स्थान		विषय		निर्धारित स्थान
1.	भौतिकशास्त्र	–	20	1.	राजनीतिशास्त्र	–	40
2.	रसायनशास्त्र	–	20	2.	अर्थशास्त्र	–	40
3.	वनस्पतिशास्त्र	–	20	3	समाजशास्त्र	–	40
4.	प्राणीशास्त्र	–	20	4.	इतिहास	–	40
5.	गणित	–	40	5.	हिन्दी साहित्य	–	40
				6.	अंग्रेजी साहित्य	–	40
				7.	भूगोल	–	30

एम. कॉम. पाठ्यक्रम (प्रवेश संख्या सीमा) – **50**

विधि संकाय में प्रथम वर्ष हेतु प्रवेश संख्या 80 (बी.सी.आई.द्वारा स्वीकृत) इसमें प्रवेश पूर्व परीक्षा के बाद नियमानुसार कार्यवाही के पश्चात् ही प्रवेश दिया जावेगा।

रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम

निम्न कोर्स स्ववित्तीय आधार पर महाविद्यालय में प्रारंभ किये गये है। प्रति कोर्स शुल्क 3000 रूपये, वार्षिक शुल्क के अतिरिक्त देय होगा। प्रति कोर्स की निर्धारित सीट निम्नानुसार रहेगी। इन सर्टिफिकेट कोर्सेस में विज्ञान संकाय के प्रथम वर्ष के नियमित छात्र/छात्राओं को गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। सर्टिफिकेट कोर्सेस विज्ञान (दोनो समूहों) के साथ–साथ चलेंगे।

1. कम्प्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट कोर्स कुल सीट 30 प्रति सेमेस्टर शुल्क रू. 1500 प्रत्येक सर्टिफिकेट कोर्स में वर्ष के अंत में दो प्रश्न पत्र, एक प्रायोगिक परीक्षा एवं फील्ड वर्क होगा। जिनमें प्रत्येक प्रश्नपत्र में 50 अंक, प्रायोगिक परीक्षा में 50 अंक तथा फील्ड वर्क में 100 अंक होंगे। सर्टिफिकेट कोर्स में उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी अगले वर्ष डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश ले सकेंगे तथा डिप्लोमा कोर्स में उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी अगले वर्ष एडवांस डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश ले सकेंगे। सफल छात्र/छात्राओं को प्रमाण पत्र महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त किये जायेंगे।

विद्यार्थी को केवल एक अंक कृपांक के रूप में निम्नलिखित परिस्थितियों में केवल एक बार प्रदान किया जा सकता है।

1. सैद्धांतिक खंड अथवा प्रायोगिक खंड में से किसी एक खं डमें एक अंक से अनुत्तीर्ण होने पर।
2. श्रेणी प्राप्त करने के लिये एक अंक कम होने पर।
3. किन्ही दो विषयों में 1–1 अंक से अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को एक विषय में 1 अंक कृपांक देकर दूसरे विषय में ए.टी.के.टी. घोषित किया जावेगा। ए.टी.के.टी. विषय की पात्रता निर्धारित नियमानुसार ही होगी।
4. कृपांक अंक को महायोग में जोड़ा नहीं जायेगा। अंक सूची में कृपांक पृथक रूप से दर्शाया जावेगा एवं परीक्षा परिणाम में उसका उल्लेख रहेगा।
5. स्नातक सेमेस्टर कक्षाओं में केवल दो विषय में सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक खंड में ए.टी.के.टी. की पात्रता दी जावेगी।
6. सेमेस्टर परीक्षाओं के परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। केवल पुनर्गणना कराने की पात्रता होगी।

7. प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित परीक्षार्थियों हेतु पुनः प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जावेगा।

विधि संकाय (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) प्रथम सेमेस्टर

इस संकाय की कक्षाओं में (केवल प्रथम वर्ष वर्तमान) बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 80 विद्यार्थियों को ही गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

1. विधि संकाय के त्रिवर्षीय सेमेस्टर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा 30 वर्ष होगी।
2. विधि स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि. सागर द्वारा निर्देशित नियमों (लिखित परीक्षा या अन्य तात्कालिक) निर्देश के अनुसार देय होगा।
3. विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40 प्रतिशत होगी। आरक्षित वर्ग के प्रवेशार्थियों को इस अंक सीमा में कोई छूट नहीं दी जायेगी। (बार कौंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार)
4. म. प्र. शासन उच्च शिक्षा के नवीनतम निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।